बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झांसी

: सम्बद्धता अनुभाग :

नवीन महाविद्यालयों की स्थापना के लिये सम्बद्धता हेतु मानक :–

1. 15 कि0 मी0 की परिधि मे स्थित इंटर कालेजों एवं महाविद्यालयों की सूची।
2. प्राभूत राशि का विवरण जो कि कुलसचिव के पक्ष मे बंधक हो:–
   - A. स्नातक स्तर पर कला संकाय के सात विषयों हेतु रू0 1.5 लाख
   - B. स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के पांच परम्परागत विषयों हेतु रू0 2.5 लाख
   - C. स्नातक स्तर पर कला संकाय के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु रू0 20,000/–
   - D. स्नातक स्तर पर कृषि संकाय हेतु रू0 2.5 लाख
   - E. बी0बी0ए0/बी0सी0ए0/बी0काम0 हेतु रू0 1.5 लाख
   - F. बी0एड0/बी0पी0एड0 हेतु रू0 2.00 लाख
   - G. विधि त्रिवर्षीय पाठयकम हेतु रू0 3.00 लाख
   - H. विधि पंचवर्षीय पाठयकम हेतु रू0 4.00 लाख
   - I. एम0काम0 तथा प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय हेतु रू0 50000/– ,
   - J. विज्ञान संकाय स्नातक स्तर पर प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु रू0 25000/–
   - K. कला संकाय मे परास्नातक स्तर पर प्रत्येक विषय हेतु रू0 30000/–
3. निम्न विवरणानुसार भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों/खतौनी में दर्ज होनी चाहिये :–
   - A. ग्रामीण क्षेत्र :– 10000 वर्गमी0
   - B. नगर पालिका/नगर निगम :– 5000 वर्गमी0

     किन्तु महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु उक्त मानक की 50 प्रतिशत भूमि पर्याप्त होगी।
   - C. कृषि महाविद्यालय हेतु उपर्युक्त के अतिरिक्त 15 एकड़ भूमि कृषि फार्म हेतु उपलब्ध होना अनिवार्य है।
   - D. त्रिवर्षीय विधि पाठयकम हेतु 1200 वर्ग मी0, पंचवर्षीय हेतु 1500 वर्गमी तथा त्रिवर्षीय एवं पंचवर्षीय दोनो पाठयकमों हेतु 2000 वर्गमी0 भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों मे दर्ज होनी चाहिये।
   - E. एन0सी0टी0ई0 द्वारा संचालित पाठयकमों हेतु एन0सी0टी0ई0 के मानकानुसार भूमि उपलब्ध होना अनिवार्य है।

   नोट :– पैतृक संस्था/संचालक समिति अपने नाम की भूमि का 30 वर्ष की लीज पर महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखो मे विधितः अन्तरित कर सकती है किन्तु 30 वर्ष की कम अवधि की लीज मान्य नहीं है।
4. एक पाठयकम हेतु भवन :–
   - A. कला/विज्ञान संकाय के स्नातक स्तरीय सात विषयों हेतु न्यूनतम 06 व्याख्यान कक्ष जो 85 से 90 वर्ग मी के हो।
   - B. प्रयोगशाला/ पुस्तकालय/वाचनालय प्रत्येक 80 वर्गमी0
   - C. अध्यापक कक्ष/छात्रा कक्ष प्रत्येक 20 वर्गमी0
   - D. प्रशासनिक कक्ष जिसमे प्राचार्य कक्ष, कार्यालय कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष तथा लेखा कक्ष 80 वर्गमी0
   - E. बरामदा 100 वर्ग मी0 शौचालय(छात्र एवं छात्रा हेतु अलग–2) दो प्रत्येक 4 वर्गमी0

     इस प्रकार एक पाठयकम कुल 828 वर्गमी0 निर्मित क्षेत्र होना चाहिये इसके अतिरिक्त चाहरदीवारी भी आवश्यक रूप से निर्मित हो।

नोट :– एक से अधिक पाठयकमों के लिये व्याख्यान कक्षों एवं प्रयोगशालाओं की संख्या भी बढेगी।

खाते मे जमा धनराशि का विवरण:– B-A- 5 लाख B-S-C 10 लाख B-C Om- 7 लाख

शुल्क– अनापत्ति हेतु रू0 1000/–

सम्बद्धता हेतु 50.000/– एक पाठ्यकम के लिए, तथा 75.000/–दो पाठ्यकम के लिये

निरीक्षण शुल्क रू0 40,000/–